न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :— 09/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1 माधुराम पुत्र छगनलाल जाति सीरवी नि0 बेरा बडेट, देवनगर मेव, तहसील सोजत जिला पाली	1	मृतक छगनाराम पुत्र वालाराम के वारिसान:—
	1/1	चुन्नीलाल
	1/2	ओगड़राम
	1/3	भंवरलाल
	1/4	रतनलाल पि0 छगनाराम
	1/5	मीरा
	1/6	पानी देवी पुत्रिया छगनाराम
	2	गोमाराम पुत्र भेराराम
	3	गोपाराम पुत्र भेराराम
	4	गैरी देवी पत्नि भेराराम
	5	दुर्गा पुत्री भेराराम
	6	केलकी पुत्री भेराराम
	7	पारकी पुत्री भेराराम
	8	मृतक डावरराम पुत्र वालाराम के वारिसान
	8/1	मदनलाल
	8/2	बाबुलाल
	8/3	चन्द्राराम
	8/4	लक्ष्मणराम पि0 डावरराम
	8/5	बगदाई पुत्री डावरराम
	8/6	रमलाई पत्नि डावरराम
	9	भोलाराम पुत्र पुराराम
	10	चन्द्राराम पुत्र पुराराम
	11	ताराराम पुत्र पुराराम
	12	मनोहरलाल पुत्र पुराराम
	13	जिमनाई पत्नि पुराराम
	14	पपली पुत्री पुराराम
	15	गीता पुत्री पुराराम
	16	तेजाराम पुत्र पुनाराम जाति सीरवी नि0 बेरा बडेट, देवनगर मेव, तह0 सोजत जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:—

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री गजेन्द्र परिहार अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/3 कैलाश दवे अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक :— 04/07/2022

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा देवनगर, प0ह0 मेव तह0 सोजत मे स्थित अप्रार्थीगण की कृषि जोत की भूमि ख0न0 1770, 1771/1 की जोत मे से नया मार्ग अपनी खातेदारी कृषि जोत भूमि खसरा संख्या 1772 तक जाने हेतु आशय रखते है। प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा नंबर 1772 रकबा 1.1800 हैक्टर बा0आ0 में आने—जाने अर्थात् आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण के

उपखण्ड अधिकारी सोजत

खसरा संख्या 1770, 1771/1 में से प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है। प्रार्थी के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की डी0एल0सी0 राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम देवनगर, प0ह0 गेव, तह0 सोजत, जिला पाली राज0 के अप्रार्थीगण की कृषि जोत भूमि खसरा संख्या 1770, 1771/1 में से 20 फुट चौड़ा रास्ता जो प्रा0 पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शाया गया है, रास्ता घोषित किया जाकर प्रार्थी की खसराजात कृषि जोत भूमि खसरा नंबर 1772 तक आने–जाने अर्थात् आवागमन रास्ता दिलाया जाने एवं रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1/1 व 1/3 की ओर से श्री गजेन्द्र परिहार अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, सा0मि0 किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 09 10, 13 16 की ओर से दिनांक 17.02.2022 को जबाब प्रा0 पत्र पेश कर अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा बताये गये खसरा संख्या 1770 व 1771/1 ग्राम देवनगर में आया हुआ आवश्य है, तथा खसरा नंबर 1772 प्रार्थी की खातेदारी का है, जो सही है। प्रार्थी ने खसरा नंबर 1770, 1771/1 में से होकर खसरा नंबर 1772 तक आवागमन की मांग की गई हैं मुझ प्रार्थी व अन्य खातेदार की कृषि भूमि खसरा संख्या 1770 है। जिसमे से होकर खसरा नंबर 1771/1 में आवागमन होता है। लेकिन खसरा नंबर 1771/1 में आवागमन का रास्ता बंद है। तथा खसरा नंबर 1771/1 के खातेदार द्वारा तारबंदी कर रास्ता बंद कर दिया गया है। यदि खसरा नम्बर1172 में आवागमन हेतु प्रार्थी को रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 09 ,10, 13, व 16 को कोई आपति नही है। अतः जबाब प्रा0 पत्र पेश कर प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र स्वीकार फरमाये जाने की ईश्तदुआ की है। अप्रार्थी संख्या 1/2 व 1/4 से 1/6, 2 से 7, 8/1 से 8/6, 11, 12, 14, 15 को बावजूद तामिली सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

तहसीलदार सोजत से दिनांक 14.01.2021 को प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरुवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत से क्रमांक/राजस्व/2022/1778 दिनांक 24.06.2022 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा रिपोर्ट प्राप्त हुई। सा0मि0 की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रा0 पत्र एवं मौका रिपोर्टानुसार प्रार्थी को अपनी कृषि जोत भूमि खसरा संख्या 1772 में आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी के खसरा संख्या 1770, 1771/1 में से उसकी माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 खारीयानींव़ द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया** कि आज दिनांक 12.10.2021 को श्रीमान तहसीलदार, सोजत के क्रमांक/राजस्व/2021/3825 दिनांक 01.10.2021 की अनुपालना में उपखण्ड अधिकारी, सोजत के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रा0 पत्र 09/2020 अनवान माधुराम बनाम चुनीलाल वगेराह में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने बाबत् मैं खेताराम चौधरी भू0अ0नि0 वृत खारीयानींव मय छगनलाल पटवारी हल्का मेव के साथ ग्राम देवनगर प0ह0 मेव की आराजी खसरा नंबर 1772 रक़बा 1.1800 है0 किस्म बा0अ0 के मौके पर पहुँचा। उपस्थित पक्षकारो एवं मौतबिरानो के भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट तैयार कर ग्राम देवनगर प0ह0 मेव के वर्तमान खसरा नंबर 1772 रकबा 1.1800 है0 किस्म बारानी अव्वल वर्तमान राजस्व रेकर्ड में माधुराम पुत्र नारायणलाल का हि0 1/7 जाति सीरवी सा0 देह खोतेदार वगैरह के नाम पर दर्ज है खाता संख्या 114 की जमाबंदी की नकल संलग्न है। जिसमें कृषि कार्य हेतु आने जाने हेतु प्रार्थी ने ग्राम देवनगर के खसरा नंबर 1770, 1771/1 में से आराजी की दक्षिणी दिशा की सीमा के पास–पास से 20 फीट चौड़ाई में रास्ते की मांग की है। प्रार्थी के खसरा नंबर 1772 में आने जाने हेतु वर्तमान में अन्य कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है ग्राम देवनगर के खसरा नंबर 1519 रकबा 1.69 किस्म गै0मु0गोवा जो कि मौके पर आने जाने के काम मे लिया जाता है तथा चालु हालात में है। उसमें से होकर खसरा नंबर 1770 व 1771/1 में से नीचे दर्शाये गए नजरी नक्शा के अनुसार 20 फीट चौड़ाई में रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है। उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारो और मौतबिरानो को पढकर सुनाई गई। उक्त खसरो में आवागमन हेतु नजदीकी खसरा नंबर 1770 रकबा 1.7200 है0 में से (56×6 = 0.0336 है0) तथा खसरा नंबर 1771/1 रकबा 1.1200 है0 में से (70×6 = 0.0420 है0) भूमि का प्रस्तावित रास्ता बनता है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 127575/– रूपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार (127575/– रू0 × 2 × 0.0336 है0 = **8574/–** रूपये) एवं अनुसार (127575/– रू0 × 2 × 0.0420 है0 = **10717/–** रूपये) बनते है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा संलग्न उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता ख0न0 1770 व 1771/1 में से मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत खारीयानींव़ की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय उभयपक्षों को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है.।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 खारीयानींव, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, तथा निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 1770 व 1771/1 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा देवनगर, प0ह0 खारीयानींव, तह0 सोजत जिला पाली के खसरा नंबर 1772 रकबा 1.1800 है0 किस्म बा0अ0 की भूमि में आवागमन हेतु (आने जाने के रास्ते हेतु) अप्रार्थीगण की ख0न0 1770 व 1771/1 की निम्नांकित कृषि भूमि में से सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि ख0न0 1770 (127575/– रू0 × 2 × 0.0336 है0 = **8574**/– रूपये) एवं ख0न0 1771/1 (127575/– रू0 × 2 × 0.0420 है0 = **10717**/– उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

क्र0 सं0	ख0न0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में
1	1770 बा0अ0	1.7200 है0	गोमाराम पुत्र भेराराम हिस्सा 1/24	0.0336 है0 (56 X 6)= **8574**/– रू	384.73/–
			गोपाराम पुत्र भेराराम हिस्सा 1/24		384.73/–
			गैरी देवी पत्नि भेराराम हिस्सा 1/24		384.73/–
			दुर्गा पुत्री भेराराम हिस्सा 1/24		384.73/–

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

			केलकी पुत्री भेराराम हिस्सा 1/24		384.73/–
			पारकी पुत्री भेराराम हिस्सा 1/24		384.73/–
			मदनलाल पुत्र डावरराम हिस्सा 1/24		384.73/–
			बाबुलाल पुत्र डावरराम हिस्सा 1/24		384.73/–
			चन्द्राराम पुत्र डावरराम हिस्सा 1/24		384.73/–
			लक्ष्मणराम पुत्र डावरराम हिस्सा 1/24		384.73/–
			बगदाई पुत्री डावरराम हिस्सा 1/24		384.73/–
			रमादेवी पत्नि डावरराम हिस्सा 1/24		384.73/–
			भोलाराम पुत्र पुराराम हिस्सा 1/28		494.65/–
			चन्द्राराम पुत्र पुराराम हिस्सा 1/28		494.65/–
			ताराराम पुत्र पुराराम हिस्सा 1/28		494.65/–
			मनोहरलाल पुत्र पुराराम हिस्सा 1/28		494.65/–
			जिमनाई पत्नि पुराराम हिस्सा 1/28		494.65/–
			पपली पुत्री पुराराम हिस्सा 1/28		494.65/–
			गीता पुत्री पुराराम हिस्सा 1/28		494.65/–
			तेजाराम पुत्र पुनाराम हिस्सा 1/28 जाति सीरवी नि0 बेरा बडेट, देवनगर मेव, तह0 सोजत जिला पाली।		494.65/–
2	1771/1 बा0अ0	1.1200 है0	चुन्नीलाल हिस्सा 1/6 सा0 देह खातेदार	0.0420 है0 (70 X 6)= **10717/–रू**	1786/–
			ओगड़राम हिस्सा 1/6 सा0 देह खातेदार		1786/–
			भंवरलाल हिस्सा 1/6 सा0 देह खातेदार		1786/–
			रतनलाल 1/6 सा0 देह खातेदार		1786/–
			मीरा 1/6 सा0 देह ख़ातेदार		1786/–
			पानी देवी पि0 छगनाराम 1/6 सा0 देह खातेदार		1787/–
			योगः–	0.0756 है0	19291/– रू0

तदानुसार राजस्व रेकर्ड/नक्शा में अमल दरामल/तरमीम किया जावें। उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिर्पोट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 05/07/2021 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत